न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 776/2020 तारीख रजू:– 11.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. हरिचरण पुत्र कारे		जाति सभी मीना,
2. गोपीसहाय	पिसरान	निवासी खेडीशीश
3. रामप्रसाद	रतन	तहसील हिण्डौन
4. बल्ला		जिला करौली
5. चेतराम		राजस्थान।
6. देशराज		
7. शिवराज		

————————————————सायलान

बनाम

1. मुनिया पुत्री शिवराम पत्नि हरज्ञान, जाति मीना, निवासी मोहनपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली राजस्थान।

2. बृजेश	पिसरान	जाति सभी मीना,
3. ओमराज	लच्छी	निवासी खेडीशीश
4. अवदेश	पिसरान	तहसील हिण्डौनसिटी
5. अकलेश	छोटेलाल	जिला करौली
6. श्री पुत्र भोरया		राजस्थान ————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :–26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा मे गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात ख0नं0 3418 ता 3422, 3426 ता 3439, 3341, 3443, 3444, 3445, 3450 ता 3454 कुल किता 28 कुल रकबा 14.76 हेक्टर स्थित कस्बा हिण्डौन में सायलान 1/12 हिस्से के गैरसायलान सं० 1 ता 6 बहिस्सा 1/36 हिस्से के एवं 8/9 हिस्से के दावे के प्रति वादीगण सं0 7 लगायत 43 खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात ख0नं0 3376,3377, 3423, 3424, 3425, 3447, 3448, 3449, 3455,3457 लगायत 3475, 3477 ता 3480 कुल किता 31 कुल रकबा 18.85 हेक्टर स्थित कस्बा हिण्डौन में सायलान बहिस्सा 1/12 एवं गैरसायल सं0 1 ता 6 बहिस्सा 1/36 एवं 8/9 हिस्से के दावे के प्रतिवादी सं0 7 लगायत 43 खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित मद नं० 2 व 3 प्रार्थना पत्र में मृतक चन्दन के तरके पर सायलान काबिज एवं दखील है। मृतक चंदन द्वारा अपने हिस्से का बेचान सायलान के हक में काफी समय पूर्व किया जा चुका है। एवं उसी समय से सायलान मृतक चन्दन के तरके पर बतौर मालिक एवं दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मदनं० 3 प्रार्थना पत्र में सायलान खसरा नम्बर 3459 रकबा 35 ऐयर, ख0नं0 3460 रकवा 70 ऐयर, ख0नं0 3461 रकबा 38 ऐयर, कुत किता तीन कुल रकबा 1.43 हेक्टर स्थित कस्बा हिण्डोन पर काबिज एवं दखील है। जिससे गैरसायलान सं0 1 ता 6 के अलावा अन्य दावे के प्रतिवादीगण का कोई गुरेज नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि आराजीयात के बंटवारे को लेकर आये दिन डोल मेड का विवाद सायलान एवं गैरसायलान के मध्य बना रहता है। बाका दिनांक 10–9–2020 को सायलान अपने हिस्से में फसल की सार संभाल कर रहे थे कि गैरसायलान सं0 1 ता 6 एक राय होकर आये एतं कहने लगे, कि तुम्हारे पास अधिक जमीन पर कब्जा है। इसलिये खेत ख0नं0 3459, 3460, 3461 को हम काश्त करेंगे। जिस पर सायलान ने गेरसायलान नं0 1 ता 6 को समझाने का प्रयास किया, कि इन खेतों में आपका 1/36 हिस्सा है, इसलिये इतनी भूमि आपके हिस्से में आना संभव ही नहीं है, लेकिन गेरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। एवम् सायलान के हिस्से पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबरन कब्जा करने की फिराक में है। सायलान ने अन्य गैरसायलान से सम्पर्क कर आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने बाबत आग्रह किया तो सभी ने आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिये सायलान द्वारा दावा व संबंधित प्रार्थाना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गए , तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्म्स ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा तफ़सला दावा पाबंद फरमाया जावे कि आराजी ख 0नं 0 3459, 3460, 3461, कुल किता 3 कुल रकवा 1.43 है0 स्थित कस्बा हिंडौन से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायलान के कब्जे काश्त में मदाहमत मदाखलत नहीं करे। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्वर 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध एक कतई गलत एवम झूठा दावा तकास्मा एवम स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना स्वीकार है, जिसमें सायलान को सफलता का कोर्ड चान्स भी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 2 में आराजीयात का होना स्वीकार है। तथा गैरसायलान का उपरोक्त आराजीयात मैं हिस्सा 1/36 दर्ज होना स्वीकार है। गैरसायलान अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज व दखील चले आ रहे है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि पार्थना–पत्र का मद नम्बर 3 में आराजीयात खसरा नम्वरान 3378, 3377, 3423, 3424, 3425, 3447, 3448, 3449, 3455, 3457 लगायत 3475, 3477 ता 3480 कुल किता 31 कुल रकबा 18.85 हेक्टेयर का होना स्वीकार है जिसमें गैरसायलान का हिस्सा 1/36 है और गैरसायलान अपने हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की आराजीयात पर काबिज व दखील चले आ रहे है। गैरसायलान के हिस्से से सायलान का कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्वर 4 जिस प्रकार ते तहरीर किया गया है गलत एवम झूठा होने के कारण अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान का गैरसायलान नं 0 1 ता 6 के हिस्से की जमीन से कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मदनम्वर 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत एवम झूठा तहरीर होने के कारण स्वीकार नहीं है। गैरसायलान अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज व दख़ील चले आ रहे है। दिनांक 10.09.2020 को गैरसायलान नं0 1 ता 6 एक राय होकर सायलान की किसी भूमि पर नहीं गये। और इस मद में वर्णित कोई भी बात गैरसायलान ने सायलान से नही कही है। गैरसायलान सायलान के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं कर रहे है। सायलान की नीयत में बदयांति है और सायलान गैरसायलान की भूमि को जबरन छीनना चाहते है। और जबरन बेदखल करने पर आमादा है। गैरसायलान अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है तथा सायलान की जमीन से गैरसायलान ने कोई हस्तक्षेप नही किया है। सायलान स्वयं की नीयत में बदयांति है। गैरसायलान ने बाहमी बंटवारा को मना नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र हाजा गलत पेश कर दिया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्वर 7 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है। गैरसायलान को कानून पाबंद नहीं किया जा सकता। यदि पाबंद कर दिया तो गेरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नम्बर 8 गलत है, अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राइमफेसी केस साबित नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायलान विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ पाने के हकदार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि सायलान ने मूल वाद मृतक खातेदारान कड़ी पत्नि रामकिशन, कमल सिंह पुत्र रामसहाय, गोविन्द राम पुत्र रामहेत, चन्दर पुत्र गंगाधार तोताराम पुत्र नारायन्या, नारायण पुत्र भोला, मुथरी पुत्री नारायण रतन पुत्र रामफूल के विरुद्ध पेश कर दिया है। इसी विनाय पर मूल दावा एवम प्रार्थना–पत्र हाजा मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात का अभी विधिवत बंटबारा नहीं हुआ है। वादी गण/सायलान व गैरसायलान के मध्य अच्छी से अच्छी और बुरी में से बुरी जमीन अपने हिस्ते मुताविक विधिवत बंटवारा कराया जाना आवश्यक है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 3459, 3460, 3461 कुल किता 3 कुल रकबा 1.45 हेक्टेयर वाके कस्बा हिण्डौन जो कि शहर के नजदीक होने से वेश कीमती जमीन है जिस जमीन को सायलान बदयांति पूर्वक हडपना चाहते है। जबकि उक्त आराजीयात पर सायलान व गैरसायलान नम्बर 1 ता 6 का मौके पर कुछ बराबर हिस्से का कब्जा कास्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेविल नही है।

अतः जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थाना पत्र सायलान मय खार्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 किता 02 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3418 ता 3422, 3426 ता 3439, 3441, 3443, 3444, 3445, 3450 ता 3454 कुल किता 28 कुल रकबा 14.76 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल सं01 हि0 1/36, सायल सं0 2 ता 5 के पिता रतन हिस्सा 1/36, सायल सं0 6 देशराज हि0 1/72, सायल सं07 हि0 1/72 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष से गैरसायलान एवं अन्य सहखातेदार काश्तकार हैं।

नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3376, 3377, 3423 ता 3425, 3447 ता 3449, 3455, 3457 ता 3465, 3467 ता 3475, 3477 ता 3480 कुल किता 31 कुल रकबा 18.85 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल सं01 हि0 1/36, सायल सं0 2 ता 5 के पिता रतन हिस्सा 1/36, सायल सं0 6 देशराज हि0 1/72, सायल सं07 हि0 1/72 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष से गैरसायलान एवं अन्य सहखातेदार काश्तकार हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3418 ता 3422, 3426 ता 3439, 3441, 3443, 3444, 3445, 3450 ता 3454, 3376, 3377, 3423 ता 3425, 3447 ता 3449, 3455, 3457 ता 3465, 3467 ता 3475, 3477 ता 3480 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायल सं01 हि0 1/36, सायल सं0 2 ता 5 के पिता रतन हिस्सा 1/36, सायल सं0 6 देशराज हि0 1/72, सायल सं07 हि0 1/72 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा शेष से गैरसायलान एवं अन्य सहखातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कराने के अधिकार साबित हैं। सायलान ने तकास्मा का दावा पेश किया है। जिसके निस्तारण तक उक्त विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 3459, 3460, 3461 के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना कानून आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमेंबाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 3459 रकबा 0.35 है0, 3460 रकबा 0.70 है0, 3461 रकबा 0.38 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली